पत्रांक– 1589 / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दि0– 1/5/15

विषयः– **दिनांक–30.04.15 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा ओलावृष्टि, चक्रवातीय तूफान एवं भूकम्प से हुई क्षति के सापेक्ष राहत कार्यों की समीक्षा हेतु विडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान दिये गए दिशा–निदेशों के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 30.04.2015 को माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा ओलावृष्टि, चक्रवातीय तूफान से हुई क्षति के सापेक्ष राहत कार्यों की समीक्षा हेतु विडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान निम्नांकित महत्वपूर्ण निदेश दिये गए हैं–

(i) ओलावृष्टि एवं चक्रवातीय तूफान से कृषकों को भारी क्षति हुई है। निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप उन किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी 10 दिनों के अंदर वितरित कर दी जाए, जिनकी फसल की क्षति हुई है।

(ii) पटना, नालन्दा एवं लखीसराय के टाल क्षेत्रों में मसूर की फसल की व्यापक क्षति हुई है। उसका भी सर्वेक्षण कराकर नियमानुसार कृषि इनपुट सब्सिडी का वितरण कराया जाए।

(iii) कृषि इनपुट सब्सिडी वितरण हेतु दिये गए आवंटन का 75 प्रतिशत व्यय करने के उपरांत शेष आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) सभी जिलों में अभियंताओं की प्रशिक्षित टीमें गठित की जाएं। भूकम्प के दौरान जिन भवनों को क्षति पहुँची है, उनकी मरम्मति एवं सुधार हेतु टीमों के माध्यम से कार्य कराया जाए।

(v) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से सरकारी एवं प्राइवेट अभियंताओं को प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाए एवं इनके माध्यम से जिलों में सभी क्षतिग्रस्त मकानों की जांच कर शीघ्रातिशीघ्र उनकी मरम्मति करा ली जाए।

(vi) भूकम्प एक विशिष्ट प्रकार की आपदा है एवं नेपाल में आए भूकम्प से हुई क्षति से हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। राज्य में रिक्टर स्केल पर 7.9 या उससे अधिक की क्षमता वाले भूकम्प के आने पर व्यापक तबाही हो सकती है। अतः भूकम्प के संबंध में लोगों के बीच व्यापक जागरूकता है।

(vii) कृषि इनपुट सब्सिडी एवं गृहक्षति का वितरण RTGS के माध्यम से राशि का वितरण कराने से पूर्व बैंक खातों की एवं सूची की जाँच वरीय पदाधिकारियों से कराया जाए।

(viii) नेपाल राज्य को मुख्य मंत्री राहत कोष के माध्यम से कई प्रकार की सहायताएं प्रदान की जा रही हैं। अतएव मुख्य मंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से अनुदान देने हेतु लोगों से अपील की जाए।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुरूप कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह०/- 1/5/15

(अनिरुद्ध कुमार)
विशेष सचिव